न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 599/2023

अनवान : –

1. महावीर पुत्र धनपत जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
2. आदराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।

– **प्रार्थीगण**

बनाम्

1. बृजलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
2. बनवारीलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
3. मदनलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
4. महावीर पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
5. मांगीलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
6. सुभाष पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
7. साहबराम पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 27/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 58/44 के ख0न0 206 की 5.1980 हैक्ट, ख0न0 208 की 1.0750 हैक्ट कुल 6.2730 हैक्ट भूमि में गैरसायल स0 1 ता 5 प्रत्येक 1/6 हिस्सा एवं गैरसायल स0 6 व 7 प्रत्येक 1/12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है जिसमें से ख0न0 208 की 1.0750 हैक्ट भूमि ग्राम कर्मशाना की आबादी के चिपते हुए है।

खसरा न0 208 की भूमि में वादी व अन्य करीबन 10 व 11 लोगो के मकानात बने हुए है जो करीब 70 पूर्व बने हुए है तथा वादी व अन्य लोगो के ग्राम पंचायत गोरखाना से पटटे बने हुए है तथा पक्के निर्माण कर रखे है एवं ग्राम पंचायत द्वारा सड़के बनी है एवं विधुत कनेक्शन भी है। उक्त भूमि कृषि भूमि न होकर पूर्णतया आबादी में तब्दील हो चुकी है तथा प्रतिवादीण ने भविष्य में उक्त भूमि में बेदखल न करे व उन्हें रजिस्ट्री अथवा इकरारनामा उनके पक्ष में कराने का करार किया था परन्तु प्रतिवादीगण के मौरूसान सोहनलाल वल्द मनफुल जाति जाट ने नुमाईश व फर्जी एवं पौशिदा तौर से फर्जी आवंटन दिनांक 15.09.1974 को करवाकर उसे अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि आवंटन से पूर्व ही वादीगण व अन्य लोगो के रिहायशी मकान बने हुए थे उक्त आवंटन वादीगण से पौशिदा रखा गया कब्जे बाबत कोई रिपोर्ट नही ली गई पत्रावली में मुर्तिब नही की गई बिना पत्रावली मुर्तिब किए कब्जा धारियों को नोटिस दिये बिना सुनवाई के अवसर दिये नुमायशी व शुन्य आवंटन के आधार पर भूमि प्रतिवादीगण ने अपने

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

नाम दर्ज करवा ली इसलिए वादीगण आवंटन आदेश दिनांक 15.9.1974 शुन्य होने के आधार पर जो राजस्व रिकार्ड में वर्तमान प्रतिवादीगण के वाद भूमि का इन्द्राजात है उसे इग्नोर करा पाने के अधिकारी है। ख0न0 208 की भूमि पूर्णतया आबादी में परिवर्तित हो चुकी है। प्रतिवादीगण, वादीगण को बेदखल करने पर आमाद है तथा मकानात तोड़ने की धमकी आदि देने लगे है यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति वादीगण को होगी। अतः प्रतिवादीगण के खिलाफ इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की प्रतिवादीगण रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 58/44 के ख0न0 208 की 1.0750 हैक्ट भूमि से वादीगण को बेदखल न करे एवं मौका तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र किशोर जोशी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई। प्रतिवादीगण ने जवाब इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण काबिज है तथा न तो ग्राम पंचायत गोरखाना द्वारा पटटे बने है एवं नही ग्राम पंचायत गोरखाना द्वारा पक्की सड़क बनी है उक्त भूमि सोहनलाल पुत्र मनफुल को दिनांक 12.11.1975 को आवंटित हुई थी राजस्व रिकार्ड में उत्तरदाता के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पूर्णतया कृषि भूमि है। न तो मकान बने है और न ही विधुत व पानी का कनेक्शन है। उक्त भूमि की भू0 प्रबन्धन विभाग द्वारा टीम गठित कर पैमाईश कर वाद ग्रस्त भूमि के निशानात दिये गये है। प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज फरमावे।

साक्ष्य में महावीर पुत्र धनपत व अमरसिंह पुत्र धनपत ने अपने बयान लेखबद्ध करवाये। वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबंदी रोही मौजा कर्मशाना खाता स0 58 ईएक्सपी–1, फोटोप्रति पटटा ग्राम पंचायत गोरखाना बहक आशाराम आदि, पर्चा खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2029–38 ईएक्सपी–2, ख0न0 208 मकान मय फोटो ईएक्सपी–3, फोटोग्राम मकानात ईएक्सपी–4 ता 14, ग्राम पचांयत गोरखाना के प्रमाण पत्र व बिजली पानी के बिल की चित्रप्रति, मिसल बंदोबस्त सम्वत 2029 ता 38 कर्मशाना ईएक्सपी–15, निर्णय दिनांक 27.06.2025 राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ अनवानी बनवारी आदि बनाम महावीर आदि ईएक्सपी–16 व उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय दिनांक 20.06.2024 अनवानी महावीर बनाम बृजलाल ईएक्सपी –17 पेश किये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के

उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनुसार रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 58/44 के ख0न0 206 की 5.1980 हैक्ट, ख0न0 208 की 1.0750 हैक्ट कुल 6.2730 हैक्ट भूमि में गैरसायल स0 1 ता 5 प्रत्येक 1/6 हिस्सा एवं गैरसायल स0 6 व 7 प्रत्येक 1/12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण का कथन है कि उक्त वाद भूमि दिनांक 12.11.75 को सोहनलाल को आवंटित हुई थी आवंटन प्रति संलग्न है तथा उक्त भूमि मे न तो मकान बने है न पटटा जारी हुआ है और नही विधुत व पानी के कनेक्शन है जबकि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत गोरखाना द्वारा जारी पटटो की चित्रप्रति पेश की गई है एवं सरपंच ग्राम पंचायत गोरखाना द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किया गया है जिसके मुताबिक प्रार्थीगण उक्त भूमि में मकानात बनाकर निवास कर रहे है एवं बिजली व पानी के कनैक्शन भी है प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रमाणित चित्रप्रति प्रस्तुत की है जिसके मुताबिक अनवान आदराम बनाम बनवारी आदि प्रकरण स0 05/2023 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू राजस्व (कृषि भूमि हेतु) आंवटन निमय 1970 आवंटन दिनांक 12.11.1975 निरस्त करवाने बाबत जैरकार है। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20.06.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 212 स्वीकार किया गया है एवं माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.06.2024 को अपने निर्णय दिनांक 27.06.2025 को न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा गया है। उक्त विवेचन स्वरूप प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में साबित होता है एवं वादी का वाद आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में वादी का वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है। स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 58/44 के ख0न0 208 की 1.0750 हैक्ट भूमि मे वादीगण को बेदखल ने करे एवं वादीगण के निर्मित मकान मे किसी प्रकार की तोड़ फौड़ न करे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/05/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 599/2023

अनवान : –

1. महावीर पुत्र धनपत जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
2. आदराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. बृजलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
2. बनवारीलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
3. मदनलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
4. महावीर पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
5. मांगीलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
6. सुभाष पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
7. साहबराम पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 599 सन 2023 निर्णय दिनांक 27/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण वादी का वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाता है। स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 58/44 के ख0न0 208 की 1.0750 हैक्ट भूमि मे वादीगण को बेदखल ने करे एवं वादीगण के निर्मित मकान मे किसी प्रकार की तोड़ फौड़ न करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...27/05/26... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर